न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :–00030/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,झुंझुनूं।

–बनाम–

हरिराम पुत्र हरदेवाराम, जाति जाट, निवासी हणुतपुरा, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

1. सरकार की ओर से :–श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) उपस्थित।
2. गैरसायल की ओर से :– स्वयं उपस्थित

–निर्णय–

दिनांक 11.10.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं ने दिनांक 23.12.2020 को गैरसायल हरिराम पुत्र हरदेवाराम, जाति जाट, निवासी हणुतपुरा, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि हरिराम पुत्र हरदेवाराम, जाति जाट, निवासी हणुतपुरा, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं का रहने वाला है जो एक आपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। उक्त व्यक्ति ने अपनी आपराधिक गतिविधियों से ग्राम हणुतपुरा के लोगों को भयभीत व आंतकित कर रखा है। इसकी आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ रही है जो अवैध शराब बेचने का आदि है। जिससे युवा पीढी मे नशे की लत लगने का भय है। इसके डर के कारण कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट दर्ज नही कराता है तथा ना ही कोई गवाही देने को तैयार है। इसके खिलाफ अब तक 2 अभियोग दर्ज किये गये है। इसके जिले की सीमाओं मे रहने से आपराधिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा तथा अपने कृत्यों को लगातार अन्जाम देगा। ऐसी स्थिति मे गैरसायल विजय की आपराधिक गतिविधियों को लगाम रखने के लिए जिला निष्कासन किया जाना आवश्यक है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. अभियोग संख्या 83/2015 दिनांक 21.05.2015 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम 1950 थाना सदर झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 59 दिनांक 20.05.2015 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2015 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 1000 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 259/2014 दिनांक 15.12.2014 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम 1950 थाना सदर झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 177 दिनांक 23.12.2014 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.11.2015 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 900 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार उक्त हरिराम पुत्र हरदेवाराम, जाति जाट, निवासी हणुतपुरा, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावें।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा गैरसालय उपस्थित। गैरसायल के बयान लिये जाकर कलमबद्ध किये गये।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी–1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं–

जिला मजिस्ट्रेट

1. अभियोग संख्या 83/2015 दिनांक 21.05.2015 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम 1950 थाना सदर झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 59 दिनांक 20.05.2015 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.07.2015 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 1000 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 259/2014 दिनांक 15.12.2014 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम 1950 थाना सदर झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 177 दिनांक 23.12.2014 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.11.2015 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 900 रूपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

गैरसायल ने अपने बयानों मे कथन किया है कि उसकी उम्र 73 वर्ष है। गैरसायल के विरूद्व 6–7 साल पहले दो मुकदमे आबकारी अधिनियम मे दर्ज हुए थे जिनमे न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजा दी जा चुकी है। गैरसायल ने अवैध शराब का कारोबार छोड दिया है। अब वह शराब नही बेचता है। गैरसायल के विरूद्व वृद्वावस्था को देखते हुए गुण्डा एक्ट की कार्यवाही समाप्त की जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी–1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं में अभियोग संख्या 83/2015 दिनांक 21.05.2015 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम 1950 एवं अभियोग संख्या 259/2014 दिनांक 15.12.2014 धारा 19/54 राज0 आबकारी अधिनियम 1950 थाना सदर झुंझुनूं में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल हरिराम को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत क्रमशः 1000 रूपये, एवं 900 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल हरिराम राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 2 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। परन्तु गैरसायल के बयानों से स्पष्ट है कि उसकी उम्र 73 वर्ष है। गैरसायल के विरूद्व 6–7 साल पहले दो मुकदमे आबकारी अधिनियम मे दर्ज हुए थे जिनमे न्यायालय द्वारा गैरसायल को सजा दी जा चुकी है। गैरसायल ने अवैध शराब का कारोबार छोड दिया है। अब वह शराब नही बेचता है। गैरसायल के विरूद्व वृद्वावस्था को देखते हुए गुण्डा एक्ट की कार्यवाही समाप्त की जानी उचित है।

अतः हरिराम पुत्र हरदेवाराम, जाति जाट, निवासी हणुतपुरा, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं के विरूद्व राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ii) के तहत कार्यवाही समाप्त की जाती है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं
11/10/2